न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 134/17 तारीख रज्जू–01/09/17

मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र चौथ्या उर्फ चौथमल जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष पेश काश्त निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। –अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर वर्तमान तहसील चौथ बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला स0मा0।

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 31.7.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम भगवतगढ के नामान्तकरण संख्या 1702 में पारित निर्णय दिनांक 19/01/1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर हाल तहसील चौथ का बरवाड़ा ने ग्राम भगवतगढ में मूल्या पुत्र चौथ्या को आवंटित भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 1702 निर्णय दिनांक 19/01/1981 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 की और से परोकार सरकार उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार होने से अपीलान्ट को सरकार द्वारा दिनांक 15.11.1977 को ग्राम भगवतगढ में स्थित आराजी खं0नं0 1746/2 (मूल खसरा नं0 1746) में 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1702 पटवारी हल्का द्वारा भरते समय इसके कॉलम नं0 11 में अपीलान्ट के पिता चौथ्या कुम्हार के स्थान पर गलती से चेना कुम्हार दर्ज कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। जबकि सही नाम मूल्या पुत्र चौथ्या कुम्हार दर्ज किया जाना चाहिए था, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 1702 निर्णय दिनांक 19/01/81 वाके ग्राम भगवतगढ निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

परोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अभिलेखित नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण संख्या 1702 निर्णय दिनांक 19/01/81 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न उप जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिसके अनुसार मूल्या पुत्र श्री चौथ्या को ग्राम भगवतगढ में भूमि आंवटन होना प्रतीत होता है, उक्त आवंटन संबंधित दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा अप्रमाणित प्रस्तुत किये गये है। यदि अपीलान्ट को उक्त भूमि आवंटन हुई है तो नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण गलत प्रतीत होता है।अतः प्रकरण पुनः तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्रति प्रेषित कर आवंटन आदेश की जांचकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु लिखा जाना मेरे अभिमत में सही प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 1702 में पारित निर्णय दिनांक 19/01/81 वाके ग्राम भगवतगढ़ निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि से संबंधित दस्तावेजों की पुनः जांचकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 31-7-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर